सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध हेतु निर्धारित शुल्क

(i) सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध हेतु आवेदन शुल्क

दिनांक 16.9.2005 से लागू सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियम) नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार आरटीआई अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ उचित पावती के एवज में 10 रूपए का आवेदन शुल्क, या तो नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी, कंपनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक देना होगा।

(ii) **सूचना प्रदान करने के लिए ली जाने वाली निर्धारित शुल्क**

उचित पावती के एवज में अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी कंपनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक की शुल्क निम्नलिखित होगी।

(क) ए-4 अथवा ए-3 आकार के बनाए अथवा काफी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/ रूपए

(ख) बड़े आकार के कागज के लिए वास्तविक शुल्क अथवा एक कापी का लागत मूल्य

(ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक लागत अथवा मूल्य।

(iii) **रिकार्डों की जांच के लिए निर्धारित शुल्क**

रिकार्डों की जांच के लिए शुल्क निम्नलिखित दरों पर वसूल की जाएगी :

(क) जांच के पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं।

(ख) पहले घंटे के बाद प्रत्येक 15 मिनट अथवा तत्संबंधी विखंडन के लिए 5/ रूपए शुल्क

(ग) यह शुल्क उचित पावती के एवज में नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी, कंपनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक द्वारा वसूल की जाएगी।

(iv) मुद्रित अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क

मुद्रित अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क उचित पावती के एवज में नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी कंपनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक द्वारा वसूल की जाएगी :

(क) डिस्क अथवा फ्लापी में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क अथवा फ्लापी 50/ रूपए की दर से

(ख) मुद्रित फार्मेट में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर अथवा प्रकाशन के अंश हेतु फोटोकापी का 2/ रूपए प्रति पृष्ठ।